

वेबसाइट www.govtppressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 फरवरी 2016-माघ 16, शके 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी हायर सेकेण्ड्री/हाई स्कूल की अंकसूची में मेरा नाम विजय कुमार चौधरी (BIJAY KUMAR CHOUDHARY) अंकित है। कुछ समय उपरांत मैंने अपना नाम बदलकर विजय कुमार चौधरी (VIJAY KUMAR CHOUDHARY) रख लिया है जो कि मेरे विभिन्न दस्तावेजों जैसे पेन/वोटर कार्ड, आधार कार्ड व बैंक पासबुक तथा सर्विस रिकार्ड (PSU, SBI) में भी अंकित है। अब मुझे भविष्य में विजय कुमार चौधरी (VIJAY KUMAR CHOUDHARY) के नाम से जाना-पहचाना जावे।

पुराना नाम :

नया नाम :

(विजय कुमार चौधरी)

(विजय कुमार चौधरी)

(BIJAY KUMAR CHOUDHARY)

(VIJAY KUMAR CHOUDHARY)

(597-बी.)

पुत्र-श्री रामेश्वर चौधरी,
निवासी—सी-305, माधवराव सिंधिया इन्क्लेव,
थाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) 474001.

उप-नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम अभय तिवारी पुत्र अवध नारायण तिवारी था। मैंने अपना नाम बदलकर अभय पंडित रख लिया है। अब मुझे अभय पंडित पुत्र अवध नारायण वितारी के नाम से जाना एवं पहचाना जाए।

पुराना नाम :

नया नाम :

(अभय तिवारी)

(अभय पंडित)

(589-बी.)

पता:- 29, अपराजिता हाउस, रामानन्द कॉलोनी,
गुफा मन्दिर लालघाटी, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, संगीता कलवानी ने अपना नाम परिवर्तन कर वैशाली कलवानी कर लिया है। अब से मुझे इसी नाम से जाना जावें।

नया नाम :

(संगीता कलवानी)

(वैशाली कलवानी)

(590-बी.)

W/o संजय कुमार कलवानी,
पता-B-5, हाऊसिंग बोर्ड चिमनबाग,
इन्दौर (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, ASHWIN PATEL changed my name to ASHOK KUMAR PATEL and now I would be known as ASHOK KUMAR PATEL.

Old Name :

(ASHWIN PATEL)

(591-B.)

New Name :

(ASHOK KUMAR PATEL)

S/o Raman Bhai Patel,

Address—203, Sangeeta Appt.,

66-67, Bhagwadeen Nagar, Indore (M.P.).

नाम परिवर्तन

मेरे समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम रज्जू तिवारी, आयु 31 वर्ष, पुत्री श्री भगवान प्रसाद तिवारी अंकित है, जिसको कि भविष्य के लिए परिवर्तन कर रंजना तिवारी (RANJANA TIWARI) कर दिया जाए. भविष्य में मेरे सम्पूर्ण दस्तावेजों में मुझे रंजना तिवारी के नाम से लिखा-पढ़ा एवं जाना जाए.

पुराना नाम :

(रज्जू तिवारी)

(592-बी.)

नया नाम :

(रंजना तिवारी)

(RANJANA TIWARI)

पुत्री श्री भगवान प्रसाद तिवारी,

आनंद नगर, बोदाबाग रीवा (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, चमन आरा, आयु 49 वर्ष, पति स्व. श्री कमर शेर खान यह घोषणा करती हूँ कि मेरी स्कूल की मार्कशीट में मेरा नाम चमन है. वर्तमान में मैंने मेरा नाम चमन आरा रख लिया है. अब से मेरी सभी चल-अचल सम्पत्ति व सभी सरकारी-गैर सरकारी, मौखिक व लिखित कार्यों में मेरा नाम चमन आरा ही रहेगा व लिखा-पढ़ा जाएगा.

पुराना नाम :

(चमन)

(593-बी.)

नया नाम :

(चमन आरा)

बोहरे कॉलोनी, गली नं. 1,

अशोकनगर (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

It is a Notice to published that my client name was Sanat Singhal S/o Shri Yogesh Singhal, aged 18 years, R/o 247, Old Ashoka Garden, Raisen Road, Bhopal. From today's that my client name has change to Sanath Singhal S/o Shri Yogesh Singhal aged 18 years, R/o 247, Old Ashoka Garden, Raisen Road, Bhopal so he is known and recognized by his education official name has Sanath Singhal S/o Shri Yogesh Singhal.

VINOD YADAV,

(Advocate).

(594-बी.)

सूचना

(भारतीय भागीदारी अधिनियम-1932 की धारा-72 के अधीन)

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स प्रशांत सिंह भदौरिया, 185, इन्द्रा काम्पलेक्स, विदिशा पंजीयन क्रमांक 01/05/01/00010/08, दिनांक 15 अप्रैल, 2008 में श्रीमती कामिनी भदौरिया पत्नि श्री प्रशांत सिंह भदौरिया, निवासी-बालाजी ऐवेन्यू राजीव नगर, विदिशा फर्म की भागीदारी में दिनांक 16-04-2010 को सम्मिलित हो गयी हैं तथा श्री नारायण सिंह चौहान पुत्र श्री आर. एस. चौहान, निवासी जी-2/267, गुलमोहर कॉलोनी, शहर भोपाल फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गए हैं. उक्त के अतिरिक्त फर्म की भागीदारी में दिनांक 31-03-2015 को श्री अभिषेक सिंह भदौरिया पुत्र श्री उदय कुमार सिंह भदौरिया, निवासी बालाजी ऐवेन्यू राजीव नगर, विदिशा सम्मिलित हुए हैं एवं दिनांक 01-04-2015 को श्री प्रशांत सिंह भदौरिया पुत्र श्री उदय कुमार सिंह भदौरिया अपनी स्वेच्छा से फर्म की भागीदारी से पृथक् हो गए हैं. फर्म का पूर्व में 185, इन्द्रा काम्पलेक्स, विदिशा पता था जो कि अब दिनांक 01-04-2015 में पंचकुटी मेन रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, वार्ड नं. 39 विदिशा हो गया है.

एच. एन. सेन,

(एडवोकेट)

विदिशा, (म.प्र.).

(595-बी.)

आम सूचना

मे. श्री पवन देव कन्सट्रक्शन MIG-24, तिली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सागर म.प्र. दिनांक 24-01-2016 से.—

1. श्रीमती कान्ता सिंह W/o श्री महेश सिंह ठाकुर
2. श्री आई. पी. पटेल S/o श्री देवी प्रसाद पटेल
3. श्री अरविन्द सिंह ठाकुर S/o श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर
4. श्री विशाल सिंह S/o श्री मुलायम सिंह
5. श्री जगदीश सिंह S/o श्री प्रहलाद सिंह
6. श्री सूरत सिंह S/o श्री भैयालाल

फर्म से अलग हो रहे हैं एवं दिनांक 24-01-2016 से.—

1. श्री विवेक सिंह S/o श्री जगदीश सिंह
2. राजेन्द्र सिंह S/o श्री माधव सिंह
3. राहुल सिंह S/o श्री राजेन्द्र सिंह

फर्म में जुड़ रहे हैं।

मेसर्स श्री पवनदेव कन्सट्रक्शन,
सूर्यकान्त सिंह,
(पार्टनर).

(596-बी.)

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी

सिवनी, दिनांक 02 जनवरी, 2016

क्र.46/व.लि./2016.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम.3-2/1999/1/4, दिनांक 30 मार्च, 1999 में निहित प्रावधान अनुसार सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक-4 के नियम-08 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, भरत यादव, कलेक्टर, सिवनी, वर्ष-2016 के लिए सिवनी जिले में निम्नलिखित तिथियों में पूरे दिवस का स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

स. क्र.	त्वौहार का नाम जिसके लिए अवकाश घोषित किया जाना है।	दिन	दिनांक
1.	मकर संक्रांति	शुक्रवार	15 जनवरी, 2016
2.	कजलियाँ	शुक्रवार	19 अगस्त, 2016
3.	भाईदूज	मंगलवार	01 नवम्बर, 2016

यह अवकाश कोषालय/उप कोषालय एवं बैंकों पर लागू नहीं होगा।

भरत यादव,
कलेक्टर।

(72)

कार्यालय कलेक्टर, जिला सागर

सागर, दिनांक 20 जनवरी, 2016

क्र.754/व.लि.-3/2016.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम-3/2/1999/1/4, दिनांक 30 मार्च, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं, विकास सिंह नरवाल, वर्ष 2016 के लिए सागर जिले के अंतर्गत निम्नलिखित तारीखों को पूरे जिले के लिए स्थानीय अवकाश एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एम 03/20/83/1/4,

दिनांक 24 जून, 1983 द्वारा प्रदान की गई अनुमति के आधार पर डॉ. हरिसिंह गौर जयंती का विशेष अवकाश केवल सागर नगर के लिए घोषित करता हूँ:—

क्र.	अवकाश का दिनांक	अवकाश का दिन	पर्व/त्यौहार
1.	28 मार्च, 2016	सोमवार	रंगपंचमी
2.	05 सितम्बर, 2016	सोमवार	गणेश चतुर्थी
3.	31 अक्टूबर, 2016	सोमवार	दीपावली का दूसरा दिन
4.	26 नवम्बर, 2016	शनिवार	डॉ. हरिसिंह गौर जयंती

(केवल सागर नगर के लिए विशेष अवकाश)

उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालय/उपकोषालय को लागू नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त उक्त अवकाश लोक सेवा गांरटी केन्द्रों के लिए भी लागू होंगे।

विकास सिंह नरवाल,
कलेक्टर,

(73)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास का पंजीयक क्षेत्र मनावर, जिला धार

मनावर, दिनांक 20 जनवरी, 2016

फार्म-4

[नियम 5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और म.प्र. लोक न्यास नियम, 1962 के (नियम-5 (1)के द्वारा]

आवेदक श्री जाकोर हुसैन पिता अब्दूल शकुर खत्री, निवासी मनावर, तहसील मनावर, जिला धार (म.प्र.) द्वारा मुस्लिम रंगारा पंच कमेटी, जमातखाना, मनावर, जिला-धार (म.प्र.) का म.प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30)की धारा-4 के अंतर्गत लोक न्यास के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 23 फरवरी, 2016 को प्रातः 11.00 बजे की जावेगी।

उक्त पंजीयन के सम्बन्ध में यदि किसी को किसी प्रकार की आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहते हैं, वह मेरे समक्ष उपर्युक्त तारीख पर या व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अधिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। उपर्युक्त नियत अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम व पता	मुस्लिम रंगारा पंच कमेटी, जमातखाना, मनावर, जिला-धार (म.प्र.)
चल सम्पत्ति	रु. 5,000/- पंजाब नेशनल बैंक, शाखा मनावर में जमा।
अचल सम्पत्ति	कस्बा मनावर में वार्ड क्रमांक 11 जवाहर मार्ग गली नं.-1, मकान नम्बर 68 एवं पड़त भूमि 20 बाय 70 फीट जवाहर मार्ग, मस्जिद के सामने, मनावर जिला धार (म.प्र.).

सत्येन्द्र सिंह,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(71)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा

रा.प्र.क्र.02/बी-113(1)/2015-16.

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 का तीसवां संशोधन की धारा-5 की उपधारा (2)

और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 का नियम-5 (1)देखिए]

आवेदक मुख्य प्रबंध ट्रस्टी गायत्री परिवार ट्रस्ट के न्यासी सौंसर, तहसील सौंसर द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम की धारा-4 के अधीन लोकन्यास के पंजीयन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः जो भी व्यक्ति इस न्यास के सम्बन्ध में या सम्पत्ति के बारे में हित रखता हो या जो भी प्रकरण में आपत्ति तथा अपने सुझाव प्रस्तुत करना चाहते हैं, वह दो प्रति में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन से 30 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें और मेरे समक्ष स्वयं या अपने अधिकृत अधिकार्ता/अधिवक्ता होकर प्रस्तुत करें, उपरोक्त अवधि के पश्चात की गई आपत्ति या सुझाव आदि पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

लोक न्यास का नाम व पता

गायत्री परिवार ट्रस्ट सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा.

लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण

चल सम्पत्ति - निरंक.

अचल सम्पत्ति - ग्राम पंधराखेडी, तह. सौंसर में

भू-खण्ड 1005 वर्गफिट,

ग्राम पंधराखेडी, तह. सौंसर में

भू-खण्ड 306 वर्गफिट.

डॉ. एन. सिंह,

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(74)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, रहली

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया हैः-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	सामू. कृषि. सह. स. मर्या., महेन्द्रा	160/24-06-1966	3611/25-11-2011
2.	सामू. कृषि. सह. स. मर्या., गुन्जौरा	172	3611/25-11-2011
3.	सत्संग गृह नि. सह. समि. मर्या., रहली	21/19-08-1981	3611/25-11-2011
4.	निसादराज मछुआ सह. समि. मर्या., तिन्सी	1310/18-06-2004	2326/06-11-2012
5.	श्री गंगा महि. बहु. सह. समि. मर्या., मगरथा	865/08-07-2002	3611/25-11-2011

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाणों के यदि कोई हो, तो लिखित रूप में मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं सागर में कार्यालयीन दिवसों में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं में अभिलेख या आस्तियाँ/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सर्वधित के विरुद्ध उनको बसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत किया जावेगा।

यह सूचना आज दिनांक 23 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

एन. के. खरे,

सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी।

(76)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन	परिसमापन आदेश
		क्रमांक/दिनांक	क्रमांक/दिनांक
1.	जय संतोषी माँ उप. सह. भं. मर्या., सागर	654/20-01-1996	748/24-04-2013
2.	माँ सिंहवाहिनी महिला वि. सह. स. मर्या., सागर	553/28-02-2002	696/24-04-2013
3.	अलमदद चर्म उद्योग सह. स. मर्या., सदर सागर	1313/24-06-2008	197/11-02-2015
4.	बीड़ी उद्योग सह. समि. मर्या., भैंसानाका सागर	1246/31-10-2007	198/11-02-2015
5.	बीड़ी उद्योग सह. समि. मर्या., गुरुगोविन्दसिंह वार्ड सागर	1290/25-02-2008	199/11-02-2015
6.	बीड़ी उद्योग सह. समि. मर्या., कर्रपुर, सागर	1295/18-03-2008	200/11-02-2015
7.	प्राथ. बीड़ी उद्योग सह. समि. मर्या., चकराघाट, सागर	1312/19-06-2008	210/11-02-2015
8.	अम्बेडकर बीड़ी उ. सह. समि. मर्या., कनेरादेव, सागर	1318/18-07-2008	211/11-02-2015
9.	प्राथ. बीड़ी उद्योग सह. समि. मर्या., शंकरगढ़ मकरोनियां, सागर	1319/26-07-2008	212/11-02-2015
10.	प्राथ. बीड़ी उद्योग सह. समि. मर्या., कनेरागौढ़, सागर	1307/31-05-2008	209/11-02-2015
11.	जलसंसाधन महि. बहु. सह. समि. मर्या., सागर	714/17-10-1997	

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वैष्ठित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाणों के यदि कोई हो, तो लिखित रूप में मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारण/दावेदारण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं में अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अद्योहस्ताकरक्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनको बसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत किया जावेगा।

यह सूचना आज दिनांक 23 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

एच. के. मिश्रा,

सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी।

(77)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला झावुआ

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

शहीद चंद्रशेखर आजाद प्राथमिक भण्डार सहकारी समिति मर्या., पेटलावद का पंजीयन क्रमांक 1047, दिनांक 27 मार्च, 2010 कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम-1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झावुआ मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत शाहीद चंद्रशेखर आजाद प्राथमिक भण्डार सहकारी समिति मर्या., पेटलावाद का पंजीयन क्रमांक 1047, दिनांक 27 मार्च, 2010 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम, की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री गोविन्द सिंह गुण्डया, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2015 को जारी किया गया है।

बबलू सातनकर,

उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक।

(78)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला धार

धार, दिनांक 11 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम-57 (1)(सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू.-1.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत निम्न सहकारी समिति को परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	श्री शंकर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धामनोद	1260/06-04-2010	28/04-01-2016

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 के उपनियम-57 (1)(सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समिति के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकाराण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दोबारा ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे द्वारा जारी किया गया है।

प्रदीप पाठक,

परिसमापक एवं उप अंके. सहकारिता।

(79)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला धार

धार, दिनांक 11 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा उनके समक्ष दर्शित आदेश से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	समिति का नाम	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	आदिवासी बहु. सहकारी संस्था मर्या., फरसपुरा	1760/05-11-2015
2.	आदिवासी बहु. सहकारी संस्था मर्या., लुन्हेरा	1760/05-11-2015
3.	दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सामर	1760/05-11-2015
4.	रेवा कामगार सहकारी संस्था मर्या., गुलाटी	1760/05-11-2015
5.	माँ नर्मदा महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., धामनोद	1760/05-11-2015
6.	बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिंधाना	1760/05-11-2015

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/सचिव से मुझे किसी भी प्रकार का रिकार्ड दस्तावेज आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 के उपनियम-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दोवदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मात्र नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे द्वारा जारी किया गया है।

के. के. जमरे,

(80) परिसमापक एवं व. स. नि. सहकारिता.

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियां, सागर

सागर, दिनांक 29 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/2739.—ईधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., इंदिरा गांधी वार्ड बीना, विकासखण्ड बीना, जिला सागर (म.प्र.), जिसका पंजीयन क्र. 765, दिनांक 31 अगस्त, 2000 है कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2789, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक श्री ऋषभ कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी बीना, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर (मध्यप्रदेश) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ईधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., इंदिरा गांधी वार्ड बीना, विकासखण्ड बीना, जिला सागर (म.प्र.), जिसका पंजीयन क्र. 765, दिनांक 31 अगस्त, 2000 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(75)

सागर, दिनांक 29 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/2740.—प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., मण्डी बामोरा, विकासखण्ड बीना, जिला सागर (म.प्र.), जिसका पंजीयन क्र. 712, दिनांक 15 अक्टूबर, 1997 है कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/818, दिनांक 22 अप्रैल, 2000 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक श्री ऋषभ कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी बीना, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर (मध्यप्रदेश) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., मण्डी बामोरा, विकासखण्ड बीना, जिला सागर (म.प्र.), जिसका पंजीयन क्र. 712, दिनांक 15 अक्टूबर, 1997 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(75-A)

सागर, दिनांक 29 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/2741.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मुहासा, विकासखण्ड बीना, जिला सागर (म.प्र.), जिसका पंजीयन क्र. 1190, दिनांक 01 अप्रैल, 2005 है कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/718, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक श्री ऋषभ कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी बीना, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर (मध्यप्रदेश) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मुहासा, विकासखण्ड बीना, जिला सागर (म.प्र.), जिसका पंजीयन क्र. 1190, दिनांक 01 अप्रैल, 2005 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(75-B)

सागर, दिनांक 29 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/2742.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हिनोद, विकासखण्ड बीना, जिला सागर (म.प्र.), जिसका पंजीयन क्र. 1136, दिनांक 05 अगस्त, 2004 है कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/700, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक श्री ऋषभ कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी बीना, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर (मध्यप्रदेश) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हिनोद, विकासखण्ड बीना, जिला सागर (म.प्र.), जिसका पंजीयन क्र. 1136, दिनांक 05 अगस्त, 2004 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

पी. आर. कावड़कर,
उप-पंजीयक।

(75-C)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 04 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

दुध सहकारी संस्था मर्या., सनावदी, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 680, दिनांक 30 जून, 1994 को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/898, दिनांक 19 अगस्त, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 04 जनवरी, 2016 से नियमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 04 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

आर. एस. गौर,
उप-पंजीयक।

(68)

कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, जिला सागर

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

बम्होरी गरय, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/41.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बम्होरी गरय, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1260, दिनांक 31 जनवरी, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बम्होरी गरय, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(81)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

उदयपुरा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/42.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., उदयपुरा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1261, दिनांक 31 जनवरी, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के

अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., उदयपुरा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(81-A)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

बरखेड़ा गौतम, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/43.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बरखेड़ा गौतम, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1262, दिनांक 31 जनवरी, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्नह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बरखेड़ा गौतम, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(81-B)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

गुंजौरा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/44.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., गुंजौरा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1263, दिनांक

31 जनवरी, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., गुंजौरा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(81-C)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

पिपरिया गोपाल, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./पर./2016/45.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., पिपरिया गोपाल, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1264, दिनांक 31 जनवरी, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., पिपरिया गोपाल, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(81-D)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

हरदी, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/46.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., हरदी, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1259, दिनांक 28 जनवरी, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., हरदी, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(81-E)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

अलमदद चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

सदर बाजार, सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/47.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार अलमदद चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., सदर बाजार, सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1313, दिनांक 24 जून, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अलमदद चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., सदर बाजार, सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(81-F)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

प्रजापति ईंट-खपरा उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

जैसीनगर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/48.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार प्रजापति ईंट-खपरा उद्योग सहकारी समिति मर्या., जैसीनगर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1085, दिनांक 04 फरवरी, 2004 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रजापति ईंट-खपरा उद्योग सहकारी समिति मर्या., जैसीनगर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(81-G)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या.,

शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/49.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या., शाहगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 126, दिनांक 27 अगस्त, 2003 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या., शाहगढ़, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(81-H)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या.,

सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/50.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या., सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 122, दिनांक 09 नवम्बर, 2001 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या., सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(81-I)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

मत्स्य सहकारी समिति मर्या.,

देवरी, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/51.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार मत्स्य सहकारी समिति मर्या., देवरी, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 448 द्वारा मध्यप्रदेश

सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मत्स्य सहकारी समिति मर्या., देवरी, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(81-J)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

मत्स्य सहकारी समिति मर्या.,

खिमलासा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/52.—कार्यालयीन अधिलेखों के अनुसार मत्स्य सहकारी समिति मर्या., खिमलासा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1381 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मत्स्य सहकारी समिति मर्या., खिमलासा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(81-K)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

मत्स्य सहकारी समिति मर्या.,

मोहली, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/53.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार मत्स्य सहकारी समिति मर्या., मोहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1452 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मत्स्य सहकारी समिति मर्या., मोहली, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(81-L)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

मत्स्य सहकारी समिति मर्या.,

छिरारी, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/54.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार मत्स्य सहकारी समिति मर्या., छिरारी, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1453 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मत्स्य सहकारी समिति मर्या., छिरारी, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(81-M)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

मत्स्य सहकारी समिति मर्या.,

जगथर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/55.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार मत्स्य सहकारी समिति मर्या., जगथर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1454 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मत्स्य सहकारी समिति मर्या., जगथर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(81-N)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

मत्स्य सहकारी समिति मर्या.,

गूगराखुर्द, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/56.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार मत्स्य सहकारी समिति मर्या., गूगराखुर्द, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1456 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मत्स्य सहकारी समिति मर्या., गूगराखुर्द, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(81-O)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

मत्स्य सहकारी समिति मर्या.,

तिन्सी (ग्वारी), जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/57.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार मत्स्य सहकारी समिति मर्या., तिन्सी (ग्वारी), जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1458 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मत्स्य सहकारी समिति मर्या., तिन्सी (ग्वारी), जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(81-P)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

मत्स्य सहकारी समिति मर्या.,

कर्पापुर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/58.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार मत्स्य सहकारी समिति मर्या., कर्पापुर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 284 द्वारा

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मत्स्य सहकारी समिति मर्या., कर्गुपुर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(81-Q)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

जयगंगे मत्स्य सहकारी समिति मर्या.,

कनेरादेव, , जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/59.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार जयगंगे मत्स्य सहकारी समिति मर्या., कनेरादेव, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1467 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जयगंगे मत्स्य सहकारी समिति मर्या., कनेरादेव, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(81-R)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या.,

मेनाई धोनाई, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/60.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या., मेनाई धोनाई, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1470, द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या., मेनाई धोनाई, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(81-S)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

ग्रामीण मत्स्य सहकारी समिति मर्या.,

पगारा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/61.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार ग्रामीण मत्स्य सहकारी समिति मर्या., पगारा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1471 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्रामीण मत्स्य सहकारी समिति मर्या., पगारा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(81-T)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

आदिवासी मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

समनापुर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/62.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार आदिवासी मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., समनापुर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1476 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदिवासी मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., समनापुर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(81-U)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

हरिजन मछुआ सहकारी समिति मर्या.,

टड़ा शाहपुर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/63.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार हरिजन मछुआ सहकारी समिति मर्या., टड़ा शाहपुर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1477 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरिजन मछुआ सहकारी समिति मर्या., टड़ा शाहपुर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(81-V)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बड़देव मछुआ सहकारी समिति मर्या.,

भौहारा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/64.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बड़देव मछुआ सहकारी समिति मर्या., भौहारा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1514 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बड़देव मछुआ सहकारी समिति मर्या., भौहारा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(81-W)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

जलतरंग मछुआ सहकारी समिति मर्या.,

कजेरा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/65.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार जलतरंग मछुआ सहकारी समिति मर्या., कजेरा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1516

द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।

2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जलतरंग मछुआ सहकारी समिति मर्या., कजेरा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(81-X)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

दुर्ग उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

ढाना, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/66.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुर्ग उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ढाना, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1340 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।

2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुर्ग उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ढाना, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(81-Y)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

दुर्घ उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

हसरई, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/67.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुर्घ उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हसरई, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1365 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुर्घ उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हसरई, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(81-Z)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

दुर्घ उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

नवलऊ, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/68.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुर्घ उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नवलऊ, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1384 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुर्घ उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नवलऊ, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(82)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

नारायणपुरा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/69.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नारायणपुरा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1386 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नारायणपुरा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(82-A)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

धबौली, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/70.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धबौली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1394 द्वारा

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।

2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धब्लौली, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(82-B)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

रेमझा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/71.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रेमझा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1395 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।

2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रेमझा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(82-C)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

बेरखेड़ीखुर्द, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/72.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेरखेड़ीखुर्द, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1408 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेरखेड़ीखुर्द, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(82-D)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

मझगुवां, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/73.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मझगुवां, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1414 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी

अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुर्घट उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मझगुवां, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(82-E)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

दुर्घट उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

पगारा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/74.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुर्घट उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पगारा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1423 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार,—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुर्घट उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पगारा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(82-F)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

दुर्घट उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

बरबटु, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/75.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुर्घट उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरबटु, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1505 द्वारा

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरबटु, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(82-G)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

गुरुनानक प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या.,

सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/76.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार गुरुनानक प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 273 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुरुनानक प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(82-H)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

भारती महिला उपभोक्ता सामग्री क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या.,
सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/77.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार भारती महिला उपभोक्ता सामग्री क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1238 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारती महिला उपभोक्ता सामग्री क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(82-I)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

जनता प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या.,
बीना, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/78.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार जनता प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., बीना, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 249 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनता प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., बीना, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(82-J)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

आदर्श प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या.,

गढ़ाकोटा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/79.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार आदर्श प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., गढ़ाकोटा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 500 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।

2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदर्श प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., गढ़ाकोटा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(82-K)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

साँईनाथ प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या.,

रहली, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/80.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार साँईनाथ प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1425 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।

2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए साँईनाथ प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., रहली, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(82-L)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

हरिओम प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या.,
बण्डा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/81.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार हरिओम प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समिति मर्या., बण्डा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1460 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरिओम प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समिति मर्या., बण्डा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(82-M)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

नवदुर्गा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या.,
विवेकानंद वार्ड, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/82.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार नवदुर्गा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., विवेकानंद वार्ड, जिला सागर

पंजीयन क्रमांक 1518 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवदुर्गा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., विवेकानंद वार्ड, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(82-N)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

संयुक्त कृषि सहकारी समिति मर्या.,

परासरी बंगला, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/83.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार संयुक्त कृषि सहकारी समिति मर्या., परासरी बंगला, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 163 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संयुक्त कृषि सहकारी समिति मर्या., परासरी बंगला, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(82-O)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

झूलेलाल गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या.,

सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/84.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार झूलेलाल गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 119 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए झूलेलाल गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(82-P)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

विपणन सहकारी समिति मर्या.,

मालथौन, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/85.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार विपणन सहकारी समिति मर्या., मालथौन, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 162 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए विपणन सहकारी समिति मर्या., मालथौन, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(82-Q)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महिला हाथकरघा बुनकर सहकारी समिति मर्या.,

पुरव्याऊ, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/86.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला हाथकरघा बुनकर सहकारी समिति मर्या., पुरव्याऊ, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 384 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला हाथकरघा बुनकर सहकारी समिति मर्या., पुरव्याऊ, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(82-R)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

अमरमऊ, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/87.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अमरमऊ, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 133 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अमरमऊ, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(82-S)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

सरखड़ी, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/88.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सरखड़ी, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 02 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सरखड़ी, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(82-T)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

उज्ज्वल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

चांदपुर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/89.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार उज्ज्वल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चांदपुर, जिला सागर पंजीयन

क्रमांक 130 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उज्ज्वल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चांदपुर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(82-U)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

घनश्याम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

गड़र, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/90.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार घनश्याम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गड़र, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1335 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार संहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए घनश्याम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गड़र, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(82-V)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बसुन्धरा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

भड़राना, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/91.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बसुन्धरा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भड़राना, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1337 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बसुन्धरा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भड़राना, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(82-W)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

खेजरामाफी, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/92.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खेजरामाफी, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1383 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खेजरामाफी, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(82-X)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

केवलारी, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/93.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., केवलारी, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 157 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., केवलारी, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(82-Y)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

माँ शक्ति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

फूलबेरखेड़ी, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/94.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार माँ शक्ति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., फूलबेरखेड़ी, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1440 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ शक्ति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., फूलबेरखेड़ी, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(82-Z)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

माँ अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,
सोनपुर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/95.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार माँ अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सोनपुर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1441 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सोनपुर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(83)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,
केसली, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/96.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., केसली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 160 द्वारा

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., केसली, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(83-A)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

पार, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/97.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पार, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 161 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पार, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(83-B)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

शारदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

सानौधा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/98.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सानौधा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1461 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सानौधा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(83-C)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

समृद्धि बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

बरखेड़ा गौतम, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/99.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समृद्धि बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरखेड़ा गौतम, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1462 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के

अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए समृद्धि बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरखेड़ा गौतम, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(83-D)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

पशुपतिनाथ बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

महाराजपुर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/100.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार पशुपतिनाथ बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., महाराजपुर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1468 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पद्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पशुपतिनाथ बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., महाराजपुर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(83-E)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

दुर्घ उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

लुहरा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/101.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुर्घ उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लुहरा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1508द्वारा

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लुहरा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(83-F)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

खैराई, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/102.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खैराई, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1509 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खैराई, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(83-G)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

पैराडाइज कुकुट पालन सहकारी समिति मर्या.,

रहली, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/103.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार पैराडाइज कुकुट पालन सहकारी समिति मर्या., रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1317 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पैराडाइज कुकुट पालन सहकारी समिति मर्या., रहली, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(83-H)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या.,

सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/104.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 109 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(83-I)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या.,

बीना, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/105.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., बीना, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1120 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

- प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.

- सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., बीना, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(83-J)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या.,

बांदरी, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/106.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., बांदरी, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 153 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

- प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.

- सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., बांदरी, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(83-K)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

गंगा स्टोन क्रेशर सहकारी समिति मर्या.,

सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/107.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार गंगा स्टोन क्रेशर सहकारी समिति मर्या., सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 544 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रंदंत मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए गंगा स्टोन क्रेशर सहकारी समिति मर्या., सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(83-L)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

जिला शिक्षक कल्याण सहकारी समिति मर्या.,

सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/108.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार जिला शिक्षक कल्याण सहकारी समिति मर्या., सागर, जिला सागर पंजीयन

क्रमांक 02 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला शिक्षक कल्याण सहकारी समिति मर्या., सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(83-M)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

जिला बांस उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/109.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार जिला बांस उद्योग सहकारी समिति मर्या., सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 45 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बांस उद्योग सहकारी समिति मर्या., सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(83-N)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

लुहारी-सुतारी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/110.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार लुहारी-सुतारी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 308 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए लुहारी सुतारी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(83-O)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

हरिजन फर्नीचर उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/111—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार हरिजन फर्नीचर उद्योग सहकारी समिति मर्या., सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 329 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरिजन फर्नीचर उद्योग सहकारी समिति मर्या., सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(83-P)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

खदान मजदूर सहकारी समिति मर्या.,

राहतगढ़, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/1112—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार खदान मजदूर सहकारी समिति मर्या., राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 532 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्नह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए खदान मजदूर सहकारी समिति मर्या., राहतगढ़ जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(83-Q)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

माँ शारदा महिला सहकारी समिति मर्या.,

लक्ष्मीपुरा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/113.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार माँ शारदा महिला सहकारी समिति मर्या., लक्ष्मीपुरा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 965 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ शारदा महिला सहकारी समिति मर्या., लक्ष्मीपुरा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(83-R)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

गरीब नवाज चर्मकार सहकारी समिति मर्या.,

सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/114.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार गरीब नवाज चर्मकार सहकारी समिति मर्या., सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1260, दिनांक 31 जनवरी, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए गरीब नवाज चर्मकार सहकारी समिति मर्या., सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(83-S)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

डॉ. अम्बेडकर चर्मकला उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/41.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार डॉ. अम्बेडकर चर्मकला उद्योग सहकारी समिति मर्या., सागर, जिला सागर पंजीयन

क्रमांक 771 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. अम्बेडकर चर्मकला उद्योग सहकारी समिति मर्या., सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(83-T)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

रविदास चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

गढ़ाकोटा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/116.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार रविदास चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., गढ़ाकोटा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 622 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए रविदास चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., गढ़ाकोटा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(83-U)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

आदर्श प्लास्टिक एवं स्टेशनरी प्रिंटिंग वर्क्स सहकारी समिति मर्या.,

सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/117.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार आदर्श प्लास्टिक एवं स्टेशनरी प्रिंटिंग वर्क्स सहकारी समिति मर्या., सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 760 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।

2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदर्श प्लास्टिक एवं स्टेशनरी प्रिंटिंग वर्क्स सहकारी समिति मर्या., सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(83-V)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

प्रिया बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

चरगुवां-देवरी, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/118.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार प्रिया बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चरगुवां-देवरी, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1469 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।

2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रिया बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चरगुवां-देवरी, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(83-W)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

भाग्योदय बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

पठौरिया, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/119.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार भाग्योदय बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पठौरिया, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1473 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए भाग्योदय बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पठौरिया, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(83-X)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

पारस बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

बरा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/120.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार पारस बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1474 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।

2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारस बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(83-Y)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

विशालराज बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

मुड़िया, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/121.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार विशालराज बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मुड़िया, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1475 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशालराज बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मुड़िया, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(83-Z)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बलवन्त बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

पगारा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/122.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बलवन्त बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पगारा, जिला सागर पंजीयन

क्रमांक 1480 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बलवन्त बीज-उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पगारा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(84)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

कक्काजू बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

सेमराकाछी, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/123.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार कक्काजू बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेमराकाछी, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1512 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए कक्काजू बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेमराकाछी, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(84-A)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

माते बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

पड़िया, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/124.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार माते बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पड़िया, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1513 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए माते बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पड़िया, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(84-B)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

विनायक बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

हिनौता पटकुई, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/125.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार विनायक बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हिनौता पटकुई, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1517 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के

अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनायक बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हिनौता पटकुई, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(84-C)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

पठा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/126.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पठा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1520 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पठा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(84-D)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

उत्तम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

लुहरा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/127.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार उत्तम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लुहरा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 137

द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लुहरा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(84-E)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

गणेश बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

मोखला, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/128.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार गणेश बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भोखला, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 158, द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए गणेश बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोखला, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(84-F)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महिला आजीविका खाद्य एवं प्रक्रिया सहकारी समिति

मर्या., केसली, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/129.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला आजीविका खाद्य एवं प्रक्रिया सहकारी समिति मर्या., केसली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1457 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला आजीविका खाद्य एवं प्रक्रिया सहकारी समिति मर्या., केसली, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(84-G)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

ग्रामीण मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या.,

मड़ैया, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/130.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार ग्रामीण मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या., मड़ैया, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1125, द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के

अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्रामीण मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या., मड़ैया, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(84-H)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

ग्रामीण मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/131.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार ग्रामीण मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., शाहगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1128, द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्नह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्रामीण मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., शाहगढ़, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(84-I)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

हरिजन मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

बरायठा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/132.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार हरिजन मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., बरायठा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 249

द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरिजन मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., बरायठा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(84-J)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

मछुआ सहकारी समिति मर्या.,

बीलाग्राम, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/133.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार मछुआ सहकारी समिति मर्या., बीलाग्राम, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 752, द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मछुआ सहकारी समिति मर्या., बीलाग्राम, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(84-K)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्या.,

बीलाग्राम, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/134.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्या., बीलाग्राम, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 431 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्या., बीलाग्राम, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(84-L)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

मत्स्य सहकारी समिति मर्या.,

नारायणपुरा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/135.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार मत्स्य सहकारी समिति मर्या., नारायणपुरा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 436 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मत्स्य सहकारी समिति मर्या., नारायणपुरा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(84-M)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

मत्स्य उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,

सहावन, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/136.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार मत्स्य उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सहावन, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1143 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।

2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्नह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मत्स्य उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सहावन, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(84-N)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

आदिवासी मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

मसूरवारी, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/137.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार आदिवासी मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., मसूरवारी, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 430 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।

2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदिवासी मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., मसूरबारी, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(84-O)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

गंगा मछुआ सहकारी समिति मर्या.,

सुरखी, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/138.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार गंगा मछुआ सहकारी समिति मर्या., सुरखी, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 418 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए गंगा मछुआ सहकारी समिति मर्या., सुरखी, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(84-P)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

मछली पालन सहकारी समिति मर्या.,

हनौता, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/139.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार मछली पालन सहकारी समिति मर्या., हनौता, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1228,

द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मछली पालन सहकारी समिति मर्या., हनौता, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(84-Q)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

मत्स्य सहकारी समिति मर्या.,

तालपौह, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/140.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार मत्स्य सहकारी समिति मर्या., तालपौह, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 876 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मत्स्य सहकारी समिति मर्या., तालपौह, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(84-R)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

मछुआ सहकारी समिति मर्या.,
नरयावली, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/141.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार मछुआ सहकारी समिति मर्या., नरयावली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1324 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मछुआ सहकारी समिति मर्या., नरयावली, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(84-S)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

जवाहर मछुआ सहकारी समिति मर्या.,
तिगोड़ा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/142.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार जवाहर मछुआ सहकारी समिति मर्या., तिगोड़ा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1325 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जवाहर मछुआ सहकारी समिति मर्या., तिगोड़ा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(84-T)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

कुमरई, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/143.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कुमरई, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1265, दिनांक 31 जनवरी, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पद्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कुमरई, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(84-U)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

संस्कार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

गढ़ाकोटा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/144.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार संस्कार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., गढ़ाकोटा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1267, दिनांक 04 फरवरी, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्कार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., गढ़ाकोटा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(84-V)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

बसारी, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/145.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बसारी, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1268, दिनांक 04 फरवरी, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बसारी, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(84-W)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

पटनाबुजुर्ग, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/146.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., पटनाबुजुर्ग, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1269,

दिनांक 04 फरवरी, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., पटनाबुजुर्ग, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(84-X)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

जरिया खिरिया, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/147.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., जरिया खिरिया, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1270, दिनांक 04 फरवरी, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., जरिया खिरिया, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(84-Y)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

तिखी, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/148.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., तिखी, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1271, दिनांक 05 फरवरी, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., तिखी, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(84-Z)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

खमरिया, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/149.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., खमरिया, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1272, दिनांक 05 फरवरी, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., खमरिया, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(85)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

जिला थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या.,

सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/150.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार जिला थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 20, दिनांक 18 जून, 1963 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।

2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(85-A)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

विपणन सहकारी समिति मर्या.,

रहली, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/151.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार विपणन सहकारी समिति मर्या., रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 37,

दिनांक 19 जून, 1984 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।

2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए विपणन सहकारी समिति मर्या., रहली, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(85-B)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

विपणन सहकारी समिति मर्या.,

शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.)

क्र./परि./2016/152.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार विपणन सहकारी समिति मर्या., शाहगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 118, दिनांक 29 जून, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।

2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए विपणन सहकारी समिति मर्या., शाहगढ़, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(85-C)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

विपणन सहकारी समिति मर्या.,

खुरई, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/153.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार विपणन सहकारी समिति मर्या., खुरई, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 06 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए विपणन सहकारी समिति मर्या., खुरई, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(85-D)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

विपणन सहकारी समिति मर्या.,

देवरी, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/154.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार विपणन सहकारी समिति मर्या., देवरी, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 121, दिनांक 10 जनवरी, 2001 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी

अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए विपणन सहकारी समिति मर्या., देवरी, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(85-E)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

सहारा बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

वार्ड क्र. 5, 6, 7, रहली, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/155.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार सहारा बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., वार्ड क्र. 5, 6, 7, रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1273, दिनांक 05 फरवरी, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।

2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहारा बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., वार्ड क्र. 5, 6, 7, रहली, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(85-F)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

सहजपुरी कलां, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/156.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सहजपुरी कलां, जिला सागर पंजीयन क्रमांक

1274, दिनांक 06 फरवरी, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सहजपुरी कलां, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(85-G)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

कासलपिपरिया, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/157.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कासलपिपरिया, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1275, दिनांक 06 फरवरी, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कासलपिपरिया, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(85-H)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

चौरांआ बुजुर्ग, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/158.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., चौरांआ बुजुर्ग, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1276, दिनांक 13 फरवरी, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

- प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।

- सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., चौरांआ बुजुर्ग, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(85-1)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

धनगुवां, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/159.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., धनगुवां, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1277, दिनांक 13 फरवरी, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

- प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।

- सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., धनगुवां, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(85-J)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

अचलपुर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/160.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., अचलपुर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1278, दिनांक 13 फरवरी, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., अचलपुर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(85-K)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

छिरारी, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/161.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., छिरारी, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1279, दिनांक 13 फरवरी, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., छिरारी, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(85-L)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

पाठई, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/162.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., पाठई, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1280, दिनांक 13 फरवरी, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., पाठई, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह-सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(85-M)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

जूना, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/163.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., जूना, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1282,

दिनांक 18 फरवरी, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., जूना, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(85-N)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

बेरखेड़ी कलां, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/164.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बेरखेड़ी कलां, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1283, दिनांक 18 फरवरी, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बेरखेड़ी कलां, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(85-O)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

घोघरा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/165.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., घोघरा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1284, दिनांक 18 फरवरी, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., घोघरा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(85-P)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

पिपरिया डिगरी, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/166.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., पिपरिया डिगरी, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1285, दिनांक 18 फरवरी, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., पिपरिया डिगरी, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(85-Q)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

चौका, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/167.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., चौका, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1286, दिनांक 18 फरवरी, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., चौका, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(85-R)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

कुड़ई, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/168.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कुड़ई, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1287, दिनांक 18 फरवरी, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कुडई, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(85-S)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

परासिया, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/169.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., परासिया, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1288, दिनांक 18 फरवरी, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., परासिया, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(85-T)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

बोरई, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/171.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बोरई, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1291,

दिनांक 28 फरवरी, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बोरई, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(85-U)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

सहजपुरी खुर्द, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/172.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सहजपुरी खुर्द, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1292, दिनांक 28 फरवरी, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सहजपुरी खुर्द, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(85-V)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

मुर्गदारिया, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/173.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., मुर्गदारिया, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1293, दिनांक 01 मार्च, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., मुर्गदारिया, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(85-W)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

बजरंग वार्ड, गढ़ाकोटा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/174.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बजरंग वार्ड, गढ़ाकोटा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1294, दिनांक 01 मार्च, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बजरंग वार्ड, गढ़ाकोटा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(85-X)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

सूरजपुरा, ग्रा. पं. केंकरा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/175.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सूरजपुरा, ग्रा. पं. केंकरा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1296, दिनांक 29 मार्च, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सूरजपुरा, ग्रा. पं. केंकरा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(85-Y)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

वार्ड क्र. 9, रामेश्वर वार्ड, रहली, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/176.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., वार्ड क्र. 9, रामेश्वर वार्ड, रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1297, दिनांक 29 मार्च, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., वार्ड क्र. 9, रामेश्वर वार्ड, रहली, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(85-Z)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

आदर्श बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

रजौआ, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/177.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., रजौआ, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1236, दिनांक 13 अगस्त, 2007 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार,—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., रजौआ, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(86)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

हरिओम बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

मेनपानी, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/178.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार हरिओम बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., मेनपानी, जिला सागर पंजीयन

क्रमांक 1237, दिनांक 06 सितम्बर, 2007 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।

2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरिओम बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., मेनपानी, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(86-A)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

तालचिरी, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/179.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., तालचिरी, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1247, दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।

2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., तालचिरी, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(86-B)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

तिली वार्ड सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/180.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., तिली वार्ड सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1248, दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.

2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., तिली वार्ड सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(86-C)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

गोरा सिमरिया, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/181.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., गोरा सिमरिया, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1254, दिनांक 11 जनवरी, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.

2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के

अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., गोरा सिमरिया, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(86-D)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

संतकबीर वार्ड सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/182.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., संतकबीर वार्ड सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1257, दिनांक 21 जनवरी, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार—

1. प्रबंध कमेटी का निवार्चन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., संतकबीर वार्ड सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(86-E)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

राहतगढ़, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/183.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1239,

दिनांक 10 अक्टूबर, 2007 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., राहतगढ़, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(86-F)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

वार्ड क्र. 9 से 12 राहतगढ़, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/184.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., वार्ड क्र. 9 से 12 राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1243, दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., वार्ड क्र. 9 से 12 राहतगढ़, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(86-G)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

चन्द्रापुर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/185.—कार्यालयीन अधिकारी के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., चन्द्रापुर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1244, दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., चन्द्रापुर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(86-H)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

रानी दुर्गावती बीड़ी उद्योग सहकारी

समिति मर्या., कंदवा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/186.—कार्यालयीन अधिकारी के अनुसार रानी दुर्गावती बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कंदवा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1235, दिनांक 13 अगस्त, 2007 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए रानी दुर्गावती बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कंदवा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(86-I)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

अम्बेडकर वार्ड, वार्ड क्र. 3-4, बण्डा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/187.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., अम्बेडकर वार्ड, वार्ड क्र. 3-4, बण्डा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1249, दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., अम्बेडकर वार्ड, वार्ड क्र. 3-4, बण्डा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(86-J)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

प्रभुश्री बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

वार्ड क्र. 15, बण्डा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/188.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार प्रभुश्री बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., वार्ड क्र. 15, बण्डा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1258, दिनांक 21 जनवरी, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभुश्री बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., वार्ड क्र. 15, बण्डा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(86-K)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

रेंगुवां, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/189.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., रेंगुवां, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1252, दिनांक 14 दिसम्बर, 2007 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., रेंगुवां, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(86-L)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

देवरी, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/190.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., देवरी, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1256,

दिनांक 18 जनवरी, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., देवरी, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(86-M)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

वलोह, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/191.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., वलोह, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1299, दिनांक 03 अप्रैल, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., वलोह, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(86-N)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

सोनपुर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/192.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सोनपुर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1300, दिनांक 03 अप्रैल, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सोनपुर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(86-O)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

मोडार नायक, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/193.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., मोडार नायक, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1301, दिनांक 03 अप्रैल, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., मोडार नायक, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(86-P)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

लक्ष्मीनारायण बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

रामपुरा, वार्ड सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/194.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार लक्ष्मीनारायण बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., रामपुरा, वार्ड सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1302, दिनांक 21 अप्रैल, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए लक्ष्मीनारायण बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., रामपुरा, वार्ड सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(86-Q)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

संत रविदास प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी

समिति मर्या., राजीव नगर वार्ड सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/195.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार संत रविदास प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., राजीव नगर वार्ड सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1303, दिनांक 21 अप्रैल, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संत रविदास प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., राजीव नगर वार्ड सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(86-R)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

प्राथमिक भीमराव बीड़ी उद्योग सहकारी

समिति मर्या., सीहोरा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/196.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार प्राथमिक भीमराव बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सीहोरा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1304, दिनांक 01 मई, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक भीमराव बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सीहोरा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(86-S)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

रारौन, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/197.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., रारौन, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1305,

दिनांक 01 मई, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., रारौन, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(86-T)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

पं. दीनदयाल बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

छुल्ला, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/198.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार पं. दीनदयाल बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., छुल्ला, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1306, दिनांक 31 मई, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पं. दीनदयाल बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., छुल्ला, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(86-U)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

रजवांस, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/199.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., रजवांस, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1314, दिनांक 10 जुलाई, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

- प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।

- सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., रजवांस, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(86-V)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

वनवासी बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

देवलपानी, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/200.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार वनवासी बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., देवलपानी, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1316, दिनांक 16 जुलाई, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

- प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।

- सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए वनवासी बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., देवलपानी, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(86-W)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

प्राथमिक बीड़ी मजदूर सहकारी समिति मर्या.,

गढ़ाकोटा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/201.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार प्राथमिक बीड़ी मजदूर सहकारी समिति मर्या., गढ़ाकोटा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 528, द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन संहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक बीड़ी मजदूर सहकारी समिति मर्या., गढ़ाकोटा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(86-X)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

तुलसीनगर सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/202.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., तुलसीनगर सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1326, दिनांक 07 जुलाई, 2009 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., तुलसीनगर सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(86-Y)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

शारदा बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

भगवानगंज, सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/203.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार शारदा बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., भगवानगंज, सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1327, दिनांक 13 जुलाई, 2009 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए शारदा बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., भगवानगंज, सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(86-Z)

पी. आर. कावड़कर,
उप-रजिस्ट्रार।

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार

धार, दिनांक 04 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/20.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वाचन/2015/969 धार, दिनांक 29 जून, 2015 के अनुसार जय गुरुदेव बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिमलीपुरा, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक 1249, दिनांक 04 जून, 2009 है, संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराने के कारण संस्था का मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत अधिक्रमित की जाकर श्री आर. आर. बघेल, सहकारी निरीक्षक को प्रशासक द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था विगत कई दिनों से

बंद है तथा सदस्य निर्वाचन हेतु कोई रुचि नहीं ले रहे हैं, निर्वाचन हेतु रिकार्ड भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। संस्था प्रशासक द्वारा आगामी कार्यवाही हेतु पत्र प्रस्तुत किया गया है। संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है। इससे स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जय गुरुदेव बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिमलीपुरा को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. आर. बघेल, सहकारी निरक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 04 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(63)

धार, दिनांक 04 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/21.—कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1499, धार, दिनांक 23 सितम्बर, 2015 के अनुसार मनकामनेश्वर महादेव बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रिंगनोद, तहसील सरदारपुर, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक 1232, दिनांक 08 नवम्बर, 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है। इससे स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मनकामनेश्वर महादेव बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रिंगनोद, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. डी. माधवाचार्य, वरि. सहकारी निरक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 04 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(63-A)

धार, दिनांक 04 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/22.—कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1499, धार, दिनांक 23 सितम्बर, 2015 के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बोडिया, तहसील सरदारपुर, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक 442, दिनांक 12 जनवरी, 1982 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है। इससे स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बोडिया को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. डी. माधवाचार्य, वरि. सहकारी निरक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 04 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(63-B)

धार, दिनांक 04 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/23.—कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1499, धार, दिनांक 23 सितम्बर, 2015 के अनुसार

यूनिटी क्रेडिट सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़, तहसील सरदारपुर, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक 1470, दिनांक 08 जनवरी, 2014 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है। इससे स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूनिटी क्रेडिट सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़, तहसील सरदारपुर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. डी. माधवाचार्य, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 04 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(63-C)

धार, दिनांक 04 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/24.—कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1499, धार, दिनांक 23 सितम्बर, 2015 के अनुसार आदर्श को। ऑप. फर्नीचर एवं गुड्स सर्विस सोसा. मर्या., सरदारपुर, तहसील सरदारपुर, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक 1009, दिनांक 12 फरवरी, 1998 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है। इससे स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदर्श को। ऑप. फर्नीचर एवं गुड्स सर्विस सोसा. मर्या., सरदारपुर, तहसील सरदारपुर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. डी. माधवाचार्य, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 04 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(63-D)

धार, दिनांक 04 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/25.—कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1499, धार, दिनांक 23 सितम्बर, 2015 के अनुसार श्री नर्मदा साख सहकारी संस्था मर्या., मनावर, तहसील मनावर, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक 1484, दिनांक 08 जनवरी, 2014 है, को मध्यप्रदेश-सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री एस. बी. मिश्रा, व. स. नि. द्वारा प्रेषित पत्र अनुसार संस्था पंजीकृत पते पर नहीं है व पंजीयन दिनांक से बंद है तथा परिसमापन की कार्यवाही हेतु लिखा गया है। संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है। इससे स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री नर्मदा साख सहकारी संस्था मर्या., मनावर, तहसील मनावर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री के. के. जमरे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 04 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(63-E)

धार, दिनांक 04 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/26.—कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1574, धार, दिनांक 08 अक्टूबर, 2015 के

अनुसार श्री सेवा साख सहकारी संस्था मर्या., कुक्षी, तहसील कुक्षी, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक 1420, दिनांक 08 जनवरी, 2014 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री एस. बी. मिश्रा, व. स. नि. द्वारा प्रेषित पत्र अनुसार संस्था विगत वर्षों से बंद है रिकार्ड भी संधारित नहीं है तथा परिसमापन की कार्यवाही हेतु लिखा गया है। संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है। इससे स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सेवा साख सहकारी संस्था मर्या., कुक्षी, तहसील कुक्षी, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री जी. एस. कनेश, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 04 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(63-F)

धार, दिनांक 04 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/27.—कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1499, धार, दिनांक 23 सितम्बर, 2015 के अनुसार अटल प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., बदनावर, तहसील बदनावर, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक 1283, दिनांक 30 अगस्त, 2011 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था अध्यक्ष द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें बताया गया कि संस्था विगत वर्षों से कोई कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है। इससे स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अटल प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., बदनावर, तहसील बदनावर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. सी. मालवीय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 04 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(63-G)

धार, दिनांक 04 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/28.—कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1499, धार, दिनांक 23 सितम्बर, 2015 के अनुसार श्री शंकर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धामनोद, तहसील धरमपुरी, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक 1260, दिनांक 06 अप्रैल, 2010 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था आमसभा दिनांक 27 सितम्बर, 2015 प्रस्तुत की गई। जिसमें संस्था भविष्य में नहीं चलाना चाहते हैं एवं संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु आमसभा कार्यवाही विवरण प्रस्तुत किया है। संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है। इससे स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री शंकर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धामनोद, तहसील धरमपुरी, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री प्रदीप पाठक, उप-अंकेश्वर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 04 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(63-H)

धार, दिनांक 04 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/29.—कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1499, धार, दिनांक 23 सितम्बर, 2015 के अनुसार

जम्बुदेवी आजीविका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जहेडी, तहसील गंधवानी, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक 1292, दिनांक 21 नवम्बर, 2011 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था सचिव द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जिसमें संस्था भविष्य में नहीं चलाना चाहते हैं एवं संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है। इससे स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जम्बुदेवी आजीविका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जहेडी, तहसील गंधवानी, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री रमेश पेंडारकर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 04 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(63-I)

धार, दिनांक 04 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/30.—कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1499, धार, दिनांक 23 सितम्बर, 2015 के अनुसार श्यामला एग्रो को। ऑप. सहकारी संस्था मर्या., ढोलाना, तहसील बदनावर, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक 1069, दिनांक 28 अगस्त, 2001 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था अध्यक्ष द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया। जिसमें संस्था भविष्य में नहीं चलाना चाहते हैं एवं संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है। इससे स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्यामला एग्रो को। ऑप. सहकारी संस्था मर्या., ढोलाना, तहसील बदनावर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. सी. मालवीय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 04 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(63-J)

धार, दिनांक 04 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/31.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वाचन/2015/967, धार, दिनांक 29 जून, 2015 के अनुसार तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आहू, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक 683, दिनांक 21 नवम्बर, 1986 है, संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्वाचन सम्पन्न नहीं करने के कारण संस्था का मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत अधिक्रमित की जाकर श्री आर. आर. बघेल, सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था। प्रशासक एवं संस्था सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था वर्तमान में अकार्यशील एवं निर्वाचन करवाने में असमर्थ हैं। संस्था प्रशासक द्वारा आगामी कार्यवाही हेतु पत्र प्रस्तुत किया गया है। संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है। इससे स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आहू, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. आर. बघेल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 04 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

ओ. पी. गुप्ता,
उप-रजिस्ट्रार.

(63-K)

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, डिणडौरी

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 क (1) अन्तर्गत]

माँ. नर्मदा मुद्रण एवं स्टेशनरी औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., नर्मदा गंज डिणडौरी पंजीयन क्रमांक 14, दिनांक 02 मार्च, 2001 विकासखण्ड एवं जिला डिणडौरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2013/174, दिनांक 15 मार्च, 2013 द्वारा श्री के. एस. मरावी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

अतः मैं, जी. पी. कन्द्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, डिणडौरी, एतद्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ. नर्मदा मुद्रण एवं स्टेशनरी औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., नर्मदा गंज डिणडौरी का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 23 सितम्बर, 2015 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 23 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(64)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 क (1) अन्तर्गत]

माँ शारदा आदिवासी रिक्षा चालक सहकारी समिति मर्या., सुब्बार, डिणडौरी पंजीयन क्रमांक 19, दिनांक 19 सितम्बर, 2003 विकासखण्ड एवं जिला डिणडौरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (20) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2014/403, दिनांक 17 जून, 2014 द्वारा श्री के. एस. मरावी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

अतः मैं, जी. पी. कन्द्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, डिणडौरी, एतद्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ शारदा आदिवासी रिक्षा चालक सहकारी समिति मर्या., सुब्बार, जिला डिणडौरी का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 23 सितम्बर, 2015 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 23 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(64-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 क (1) अन्तर्गत]

शक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पड़रिया, पंजीयन क्रमांक 13, दिनांक 01 अप्रैल, 2003 विकासखण्ड समनापुर एवं जिला डिणडौरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (20) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2014/409, दिनांक 17 जून, 2014 द्वारा श्री पी. सी. गवले, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

अतः मैं, जी. पी. कन्द्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, डिणडौरी, एतद्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पड़रिया का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 23 सितम्बर, 2015 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 23 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

जी. पी. कन्द्रा,
सहायक पंजीयक।

(64-B)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 09 सितम्बर, 2015

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम के नियम-57 के अन्तर्गत)

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्नांकित समितियों को परिसमापन में लाया जाकर मुझे 70 (1) अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक नियुक्त किये जाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था, खापखेड़ा	2199/30-07-1983	182/30-01-2015
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भिलाडिया	2145/06-10-1982	182/30-01-2015
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था, ठैनी	2256/31-10-1987	182/30-01-2015
4.	ताज महिला सहकारी साख सहकारी समिति बनखेड़ी	82/30-10-2006	182/30-01-2015
5.	आदर्श महिला सहकारी समिति मर्या., इटारसी	30/22-02-2003	182/30-01-2015
6.	बालाजी सहकारी साख समिति मर्या., इटारसी	65/16-05-2005	182/30-01-2015
7.	गुरु कृष्ण साख सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद	2915/28-02-2007	337/07-03-2015
8.	योगेश्वरी साख सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद	2912/28-02-2007	337/07-03-2015
9.	शुभम साख सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद	2914/28-02-2007	337/07-03-2015
10.	पं. दीनदयाल परिवहन सह. समिति मर्या., होशंगाबाद	2901/17-11-2006	337/07-03-2015

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ के नियम-1962 के नियम-57 के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के दिनांक से दो माह के अंतर्गत मय प्रमाण-पत्र के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी भी दावेदार द्वारा कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखापुस्तकों में लेखा संबंधित समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना आज दिनांक 09 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

डॉ. एस. दुबे,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(65)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारी संस्था मर्या., विदिशा

विदिशा, दिनांक 21 दिसम्बर, 2015

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे 70 (1) अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	सिंधेश्वरी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., अंडियाकलां	614/30-3-2002	1241/07-12-2015
2.	सफल बीज उत्पादक एवं कृषि विकास सहकारी संस्था मर्या., औलिंजा	987/16-1-2015	1240/07-12-2015

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, नियम-1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंतवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में संबद्ध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे।

आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

आर. के. सोनी,

परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी।

(66)

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

जय हिन्द बीड़ी उत्पादक उद्योग स्वायत्त सहकारिता मर्या., हटा, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह, पंजीयन क्रमांक/12, दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 (जिसे आगे समिति कहा गया है) संस्था ने अपने पत्र क्रमांक/59/2015-16 दिनांक 12 जून, 2015 द्वारा अवगत कराया है कि संस्था के कुल सदस्य 1355 थे। जिनमें से 1345 सदस्यों द्वारा स्वेच्छा से अपनी सदस्यता वापिस लेकर अपनी अंश राशि वापिस ले ली है तथा वह अब संस्था में रहकर कार्य नहीं करना चाहते हैं। जिस कारण से वर्तमान में संस्था में केवल 10 सदस्य शेष रह गये हैं तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने के निर्णय से सूचित किया गया है।

संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था। उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है। संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। जिससे कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. स. प. द./परिसमापन/2015/730, दिनांक 22 अगस्त, 2015 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही करते हुए उत्तर 30 दिवस के अंदर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आरोप स्वीकार है। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत जय हिन्द बीड़ी उत्पादक उद्योग स्वायत्त सहकारिता मर्या., हटा, पंजीयन क्रमांक/12, दिनांक 28 दिसम्बर, 2012, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह को परिसमापन में लाता हूँ। साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड हटा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

डी. के. त्रिपाठी,
सहायक पंजीयक।

(52)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 फरवरी 2016-माघ 16, शके 1937

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 07 अक्टूबर, 2015.

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के मंदसौर, छिन्दवाड़ा जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है।—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील श्यामगढ़ (मंदसौर), बिछुआ, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील चौरई (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, सतना, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, शाजापुर, झावुआ, जबलपुर, कटनी, डिण्डोरी, सिवनी में रबी फसलों की जुताई व रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी.—जिला डिण्डोरी में फसल राई व सीधी में सरसों, अलसी व सिंगरौली में अलसी, राई-सरसों व श्योपुर, ग्वालियर, उज्जैन, शाजापुर, सिवनी में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. फसल स्थिति.—

5. कटाई.—जिला दमोह, अनूपपुर, धार, बुरहानपुर, सीहोर, बैतूल में फसल सोयाबीन व सिंगरौली में मूंग, उड़द, मक्का, तिल व सीधी में धान, सावा, मक्का, मूंग, उड़द, तिल व भोपाल में सोयाबीन मक्का, मूंग, उड़द, मूंगफली व गुना, पन्ना, इन्दौर, खरौन, सिवनी में खरीफ फसलों की कटाई व मूंगफली की खुदाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, दमोह, सतना, अनूपपुर, उमरिया, देवास, जबलपुर, सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का सामाजिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 07 अक्टूबर, 2015

जिला/तहसीलें	1. समाह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती है. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत - (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, बाजरा, ज्वार, तिल, तुअर उड्ड, मूँग, सोयाबीन. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलों समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना अधिक. उड्ड, मूँगमोठ, तुअर, मूँगफली कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, उड्ड, तिल, मूँगफली, सोयाबीन, गन्ना. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगरः	मिलीमीटर	2.	3. .. 4. (1) उड़द अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम. मक्का समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. मुँगावली 2. ईसागढ़ 3. अशोकनगर 4. चन्देरी 5. शाढ़ौरा				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. फसल कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना 2. राघोगढ़ 3. बमोरी 4. आरोन 5. चाचौड़ा 6. कुम्भराज				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, मूँगफली, सोयाबीन, गन्ना (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी 2. पृथ्वीपुर 3. जतारा 4. टीकमगढ़ 5. बल्देवगढ़ 6. पलेरा 7. ओरछा				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तिल अधिक. तुअर कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लब-कुशनगर 2. गौरीहार 3. नौगांव 4. छतरपुर 5. राजनगर 6. बिजावर 7. बड़ामलहरा 8. बकस्वाहा				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, तिल. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़ 2. पन्ना 3. गुन्नर 4. पवई 5. शाहनगर				
*जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बीना 2. खुरई 3. बण्डा 4. सागर 5. रेहली 6. देवरी 7. गढ़ाकोटा 8. राहतगढ़ 9. केसली 10. मालथोन 11. शाहगढ़				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) ज्वार, सोयाबीन, उड़द, तुअर, मूंग, मक्का, धान, तिल सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, धान, उड़द बिगड़ी हुई. तिल, तुअर समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगांव	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उच्चेरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. . . 4. (1) सोयाबीन, उड़द, मूंग अधिक. धान, चना कम. तुअर, ज्वार समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हुजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकचुलियान	..				
*जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. ..	3. . . 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहरी	..				
3. जैसिहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) धान, तुअर, कोदों-कुटकी कम. सोयाबीन समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) मक्का, तिल, को. कुटकी, उड़द, मूंगफली, तुअर, बाजरा अधिक. ज्वार, धान, रामतिल, सोयाबीन कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं सरसों अलसी की बोनी व धान, मक्का, सावं, उड्ड, मूँगतिल की कटाई का कार्य चालू है।	3. 4. (1) अलसी, राई सरसों कम. (2) ..	5. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास 2. सिंहावल 3. मझौली 4. कुसमी 5. चुरहट 6. रामपुरनैकिन	..				
जिला सिंगरौली	मिलीमीटर	2. जुताई एवं अलसी राई-सरसों की बोनी व मूँग, उड्ड, मक्का, तिल की कटाई का कार्य चालू है।	3. 4. (1) मक्का अधिक, धान, तिल कम. तुअर, ज्वार, कोर्णे, उड्ड, मूँग समान. (2) ..	5. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) सोयाबीन अधिक, मक्का कम. (2) ..	5. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा 2. भानपुरा 3. मल्हारगढ़ 4. गरोठ 5. मन्दसौर 6. श्यामगढ़ 7. सीतामऊ 8. धुन्थड़का 9. सजीत 10. कथामपुर	..	3.6			
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक, तिल, तुअर, मूँगफली कम. (2) ..	5. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला रत्लाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, कपास समान. (2) ..	5. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है।	3. 4. (1) सोयाबीन, मक्का. (2) ..	5. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद 2. महिदपुर 3. तराना 4. घटिया 5. उज्जैन 6. बड़नगर 7. नागदा	..				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बड़ौद 2. सुसनेर 3. नलखेड़ा 4. आगर	..				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है।	3. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, तुअर, उड्ड, मूँग. (2) ..	5. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया 2. शाजापुर 3. शुजालपुर 4. कालापीपल 5. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गना अधिक. कपास, तिल, मूँगफली, कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झावुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, सोयाबीन कम. कपास, धान समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	..				
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावद	..				
4. झावुआ	..				
5. राणापुर	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मक्का, मूँगफली, सोयाबीन, अधिक. ज्वार, बाजरा, उड़द, कपास कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जोवट	..				
2. अलीराजपुर	..				
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोण्डवा	..				
5. भामरा	..				
6. च. शेखर आ. न.	..				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन अधिक. कपास, गन्ना, मक्का कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	..				
2. सरदारपुर	..				
3. धार	..				
4. कुक्सी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..				
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली, अलसी अधिक. ज्वार, धान, तुअर, गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..				
2. महेश्वर	..				
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बड़वानी	..				
2. ठीकरी	..				
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..				
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
जिला बुहानपुर :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसल सोयाबीन की कटाई कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) कपास, मूंगफली. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुहानपुर	..				
2. खकनार	..				
3. नेपानगर	..				
*जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, उड़द. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन, मक्का, मूंग, उड़द, मूंगफली की खुदाई व कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मूंग, मक्का, तुअर, धान, ज्वार अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. वैरसिया	..				
2. हुजूर	..				
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	..				
2. आषा	..				
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदों- कुटकी, तुअर, मूँग, तिल, मूँगफली, सोयाबीन, गना. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रायसेन	..				
2. गैरतगंज	..				
3. बेगमगंज	..				
4. गौहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. ..	7. .. 8. ..
1. भैंसदेही	..				
2. घोड़ाडोंगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान, सोयाबीन अधिक. मूँगमोठ, उड़द, तुअर कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	..				
3. बावड़ी	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. ..
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान अधिक. मूँग, उड़द, सोयाबीन, तिल, तुअर कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..				
2. पाटन	..				
3. जबलपुर	..				
4. मझौली	..				
5. कुण्डम	..				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, तिल, तुअर, कोदों, मक्का, ज्वार, मूँग, उड़द. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बड़वारा	..				
7. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, सोयाबीन, धान, उड़द, गन्ना, मूँग. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा 2. करेली 3. नरसिंहपुर 4. गोटगांव 5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) मक्का, सन, तिल, धान, उड़द, तुअर, कोदों-कुटकी, सोयाबीन. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास 2. बिछिया 3. नैनपुर 4. मण्डला 5. घुघरी 6. नारायणगंज	..				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं राई फसल की बोनी का कार्य चालू है.	3. 4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, कोदों-कुटकी, तुअर, उड़द, रामतिल. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी 2. बजाग 3. शाहपुरा	..				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान अधिक. सोयाबीन कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा 2. जुन्नारदेव 3. परासिया 4. जामई (तामिया) 5. सोंसर 6. पांदुणा 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. बिछुआ 10. हरई 11. मोहखेड़ा 17.6 10.6 .. 10.2				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी की बोनी व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. 4. (1) मक्का, तुअर, उड़द, मूँगफली, तिल, सन् अधिक. धान, ज्वार को.-कुटकी सोयाबीन, गन्ना कम. मूँग समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी 2. केवलारी 3. लखनादैन 4. बरघाट 5. उरई 6. घंसौर 7. घनोरा 8. छपारा				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट 2. लाँजी 3. बैहर 4. वारासिवनी 5. कटंगी 6. किरनापुर				

टीप.— *जिला सागर, शहडोल, बड़वानी, राजगढ़ से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.